तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1220/2006/बीकानेर भीखाराम बनाम मेधाराम	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित –

श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अधिवक्ता प्रार्थी

–आदेश–

दिनांक 31–07–2025

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या – 115/2004 बउनवानी भीखाराम बनाम मेघाराम में पारित आदेश दिनांक 22–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह तथ्य प्रकट किए गए कि आक्षेपित आदेश दिनांक 22–11–2005 जोकि वादग्रस्त भूमि चक 11 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 26/17, 26/18 व चक 1 केएचडी के मुरब्बा नम्बर 67/20 एवं 67/12 की कुल 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के बाबत् धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया था, से संबंधित मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो चुका है।

ऐसी स्थिति में जब हस्तगत प्रकरण में मूल वाद का निस्तारण अंतिम रूप से हो चुका है। उपरोक्त तथ्य के प्रकटीकरण की रोशनी में हस्तगत निगरानी याचिका स्वतः सारहीन/निष्प्रभावी होने से खारिज किए जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी 1220/2006 बउनवानी भीखाराम बनाम मेधाराम सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार लौटाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दडिया)

सदस्य